SHRI N.K. PREMACHANRAN (Kerala): Sir, I also associate myself with it.

GOVERNMENT BILL

The Manipur University (No.2) Bill, 2005

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Sir, I move:—

"That the Bill to establish and incorporate a teaching and affiliating University in the State of Manipur and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The question was proposed.

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश) : धन्यवाद उपसभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम तो मंत्री महोदय का धन्यवाद भी करूंगा और बधाई भी दूंगा कि वे एक महत्वपूर्ण विधयेक इस सदन में चर्चा के लिए लाए हैं । वैसे जब संसद चल रही हो तो विषयों पर मैं नहीं समझता कि आर्डिनेंस का जो रास्ता आप अपनाते हैं, वह उचित है । बहुत ही आवश्यक कारणों से विधान में यह व्यवस्था की गई है कि इंटर-सेंशन पीरियड में, यदि संसद में कोई विधेयक नहीं लाया जा सके तभी बहुत आवश्यकता होने पर ही आडिनेंस का प्रावधान किया जाता है । लेकिन उसके बावजूद भी आप यह विधेयक सदन में लाये है और मणिपुर में सेट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेबिलिश करने के विषय में यह बिल सदन में आया है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है ।

उपसभापति जी, मणिपुर हिन्दुस्तान का एक दूर पड़ने वाला छोटा- सा प्रदेश है और इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्रांउड है । वास्तव में मणिपुर ऐसा पहला राज्य है, जहां पर आजाद हिन्द फौज ने पहली बार भारत का तिरंगा लहराया था । आज भी वहां पर जो समुदाय रहते हैं, उनमें भारतीयता की भावना और राष्ट्रीयता की भावना शायद बाकी हिस्सों से काफी ज्यादा है । एक ओर बर्मा से मिला हुआ यह प्रदेश है, दूसरी और नागालैंड है, तीसरी ओर मिजोरम है और हिन्दुस्तान के केवल दो राजमार्गो के द्वारा यह प्रदेश जुड़ा हुआ हैं।

जब किसी भी क्षेत्र की विकास की दृष्टि से अनेदखी होती है, तो वहां पर इनसरजेंसी की भावना बढ़ती है, इसको हम देखते आये हैं । पहले जमाने में जब राजाओं का राज होता था,तो वह किसी देश पर इनवेजन करते थे, उस पर अधिकार करते थे, लेकिन आज तरीकेबदल गये हैं, किसी भी प्रदेश पर, किसी भी राज्य पर अधिकार जमाने के लिए वहां पर धार्मिक समुदायों में इस प्रकार का परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं जिससे वहां पर राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करके दूसरे देशों के प्रति भावना उत्पन्न हो जाये या इनसरजेंसी की भावना उत्पन्न हो जाये । आज मणिपुर के चार जिले ऐसे बन गये हैं, जहां पर धार्मिक आधार पर कन्वर्सन होता है और सिलसिलेवार हिली

राज्यों मे इस प्रकार के प्रयास किये जाते हैं तथा इसी तरह का प्रयास मणिपुर में भी हो रहा है। हालांकि भारत के साथ मणिपुर का महाभारत के काल से एक पुराना रिश्ता है और आज भी वहां पर धार्मिक दृष्टि से भारत के जो मुख्य स्थान है, उनके साथ मिलते-जुलते विचारों के लोग वहां पर रहते है । लेकिन इन राज्यों को देशों से काटने के लिए, देश की मुख्य धार बाहर करने के लिए प्रयत्न दुनियाभर में हो रहे हैं, विशेषरूप से नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स है और देश के जो अन्य पर्वतीय राज्य है, उनमें यह प्रयास आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है । इस प्रकार की स्थिति को बदलने के लिए आवश्यक है कि उस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें । मणिपुर में आज तक कोई भी विश्वविद्यालय सेंट्रल विश्वविद्यालय नही हो पाया, जबकि इसके आस-पास के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनमें अधिकाशं में कन्द्रीय विश्वविद्यायल काम कर रहे हैं । वर्ष 1980 में मणिपुर की विधान सभा द्वारा कानून बनाकार के एक विश्वविद्यायल की स्थापना की गई थी । लेकिन आज जिस प्रकार से देश भर के राज्यों की स्थिति है, आर्थिक दृष्टि से उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है और देश के बड़े-बड़े राज्य भी अपने जो इंस्टीहटयूशंस है, अपने जो विश्वविद्यायल है, उन विश्वविद्यालयों को वह ठीक प्रकार से चलाने में असर्थता महसूस कर रहे हैं । उस दृष्टि से जो हमारे नार्थ-ईस्टर्न स्टैट्स हैं, उनकी विकास की दृष्टि से जो स्थिति हे, अपनी आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण वे अपने इंस्टीटयूशन को चलाने में असमर्थता महसूस कर रहें हैं, उसके लिए आवश्यक था कि वहां की जो यूनिवर्सिटी बनी थी, उस यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय सरकार अपने संरक्षण मे लें । इसलिए मैने प्रारम्भ में ही माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दी है कि चाहे देर से आए लेकिन दुरूस्त आएं हैं । आपने मणिपुर के उस विश्वविद्यालय को कन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया है । लेकिन जब भी हम केन्द्रीय विश्वविद्यायल बनाते है तो उसमें एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है कि हम हिस्टरी, जॉग्राफिया या पॉलिटीकल सांइस की क्लासिज़ विश्वविद्यालयों में, अपने कॉलेजिज में चला रहे है।बच्चा बीएसी करता है, बीए करता लेकिन उसके बाद वह दर-दर की ठाकरें खाता है ? आज कहीं पर भी उसको रोजगार मिलना संभव नहीं हो पाता है और जो शिक्षित बेरोज़गारी की समस्या देश मे उत्पन्न हो रही है, उस शिक्षित बेरोजगारी के कारण अधिकांश स्थानों पर, चाहे आतंकवाद की स्थिति हो या इनसरजेंसी की स्थिति हो, वह पैदा हो जाती है । इस दृष्टि से मेरा माननीय मंत्री महोदय को सुझाव है कि इस बिल में हीं प्रोविजन करते । लेकिन उसके बावजूद उन्होनें जो विजिटर का प्रोविजन किया है,उसके द्वारा इन विषयों के अतिरिक्त जिस क्षेत्र में आज रोज़गार की सभांवनांए अधिक है, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, बायो-टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, कंप्यूटर सांइस का क्षेत्र है, इनकी ओर भी इस बिल में प्रावधान करें अथवा जो यहां के स्टेटयूज़ ऑडीनेंसिज़ है, जिनका प्रावधान आपने बिल में किया है, उसमें किया जाए तो मैं समझता हूं कि जो हमारी बेरोज़गारी की समस्या है, उससे निजात मिल सकेगी । अगर वहां पर शिक्षित बेरोज़गारों को आप रोजगार उपलब्ध करा सकेगें तो जो हमारे देश से यह प्रदेश कटने की स्थिति में आ रहा है और पिछले वर्ष जिस प्रकार का आंदोलन वंहा पर उग्र रूप धारण कर गया था, उस प्रकार की स्थिति फिर से उत्पन्न न हो, उसके लिए आवश्यक है कि हम यहां पर रोज़गार के अवसर शिक्षा के द्वारा उपलब्ध कराने का प्रयास करें । इसके अतिरिक्त

हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीज़न की जो काउंसिल है, उसमें विकास के लिए पैसा जाता है । आपने इसमें विश्वविद्यालयों के लिए रैकिरिंग ऐक्सपेंडीचर 11 करोड़ का दर्शाया है ओर इनफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 49 करोड़ की व्यवस्था आपने की है लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय को, यदि हमें उसे अच्छी प्रकार से मॉर्डन विश्वविद्यायल का रूप देना है तो मैं समझता हूं कि 11 करोड़ को जो रैकरिंग ऐक्सपेडीचर का आपनेप्रावधान किया है, यह बहुत कम होगा, इसको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता होगी । इसके साथ साथ इस बिल में आपने एक इम्प्रवूमेंट भी की है । वैसे तो जो आपने सबसे लेटेस्ट मिज़ोरम विश्वविद्यालय की स्थापना की है, केन्द्रीय स्तर पर, उसके अनुरूप ही इस बिल की आपने संरचना की है लेकिन इसमें चीफ रैक्टर का जो प्रोविजन आपने किया है- जो गर्वनर किसी भी प्रदेश में केंद्र और राज्यों के बीच में सबंध स्थापति करने वाली एक कड़ी हो सकता है, उसका जो प्रावधान किया है – यह सराहनीय है और बहुत अच्छा प्रावनधान इसमें किया है । लेकिन इस क्षेत्र में,जैसा मैनें प्रारम्भ में ही कहा कि जिस प्रकार से इनसरजेंसी की प्रवृत्ति यंहां पर बढ़ती जा रही है जिस प्रकार से धार्मिकआधार पर यहां पर कनवर्सन की प्रवृत्ति बढ़ रही है देश और विदेश की बहुत सारी संस्थांए हैं जो हमारे ट्राइबल्स को और जो हमारी बॉर्डर स्टेट्स है- इसमें हमारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश भी है, वह भी लेटेस्ट श्रैणी में आ गया है – जहां पर कनवर्शन के द्वारा ऐसी स्थिति पैदा की जाती है कि देश के प्रति जो राष्ट्रीयता में हो, चाहे आपने बिल में प्रावधान नहीं किया है क्योंकि बिल के ऑबजैक्टस एंव रीजन्स में आपने कहा है कि इसकी व्यवस्था सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि बाकी जो यहां की नार्थ ईस्टर्न स्टेटस है, वहां पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है । मणिपुर केवल मात्र एक ऐसा प्रदेश रह गया है जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी है । मैं समझता हूं कि इतना ही इसमें काफी नहीं है । सांस्कृतिक रूप से यह प्रदेश जो देश के साथ जुड़ा हुआ प्रदेश है, उस स्थान की अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है जो वहां की सांस्कृति पहचान है, उसको बनाए रखने के लिए भी यह आवश्यक है कि हम, अपनी जो शिक्षा संस्थांए है, हमारे जो शिक्षा से संबधित अधिनियम और नियम बनाए जाते हैं, उनमे भी प्रावधान किय जाए कि हम उस प्रदेश की जो सांस्कृतिक पहचान है, उस प्रदेश की जो हमारी कल्चरल आइडेंडिटी है, उसको कैसे हम संरक्षण दे सकें – इस बात का प्रावधान भी इस शिक्षा संबधी विधेयक में लाया जाता हैं तो बहुत अच्छा रहता है । लेकिन आने वाले समय में जो ऑडिनेंसिज, स्टेटयूज़ और रेंगूलेंशसं की बात आपने बिल में की है, उसमें इस प्रकार का प्रावधान भी होगा और इस प्रकार के इंस्टीटयूट्स विश्वविद्यायल द्वारा वहां पर खोले जांए । जिससे वे culturalty insurgency की ओर न बढ़े । यह प्रदेश भारत से जुड़ा हुआ बहुत प्राचीन प्रदेश है, इसलिए यहां पर इस बात की अधिक आवश्यकता है कि यह प्रदेश भारत के साथ जुड़ा रहे । इस दृष्टि से आपने जो पहला कदम उठाया है कि इस प्रदेश में मणिपुर यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का रूप दिया है, यह बहुत सराहनीय कदम है । इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, धन्वाद ।